पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 296/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 21.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01-थाना पवई : किशोरी को अगवाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.08.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 01.08.2024 को वादिनी की पुत्री को अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम गंगापुर पकरिया धापूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर उम्र करीब 22 वर्ष शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 273/24 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजगमढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम गंगापुर पकरिया धापूपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर उम्र करीब 22 वर्ष को पवई बाजार आटो स्टैण्ड से समय करीब 06:10 बजे गिरफ्तारी किया गया तथा साथ में पीडिता को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा, हे0का0 सुरेन्द्र सिंह यादव, का0 लोकेश प्रताप सिंह, म0का0 राधिका यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।

02.थाना- कोतवाली: पशु चोरी के 05 हजार रूपयें के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक- 21.09.2024 को वादिनी रीना पत्नी बाबूलाल सा0 मु0 गुलामी का पुरा , तहसील सदर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी जानवर (सुअर) पालने का कार्य करती है। दि0-17-9-24 को प्रति दिन की भांति जानवर को चरने के लिये छोड़ी थी जो शाम तक घर नहीं आयी तो प्रार्थिनी खोज बीन शुरू की लेकिन कहीं नहीं मिली तब प्रार्थिनी अगल बगल के दुकान व घरो पर लगे सी सी टी वी कैमरे को देखना शुरू किया तो पता चला कि रवि सोनकर पुत्र कैलाश सनोकर व शिवम सोनकर पुत्र हरिलाल सोनकर सा0 गुलामी का पुरा मेरे जानवर को हांक कर ले जा रहे थे चार जानवर जिनकी कीमत मु0 डेढ़ लाख रूपया है, को चुरा ले गये और तबसे लापता है। वादिनी उपरोक्त वीडियों कैलाश सोनकर व हरिलाल को दिखाया तो लोग मानने को तैयार नहीं है वल्कि गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 523/24 धारा 303(2), 317(2) BNS दि. 21.9.24 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 21.9.24 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा बमबम बाबा की कुटिया गुलामी के पूरा से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. रवि सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 2. शिवम सोनकर पुत्र हरिलाल सोनकर निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को समय 09.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। तथा कब्जे से चोरी के सुअर के बिक्री से प्राप्त 5000 रूपये बरामद की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना- कन्धरापुरः 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी रमेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी गौरी नरायनपुर थाना कन्धरापुर आजमगढ वर्तमान ग्राम प्रधान गौरीनरायनपुर ने थाना कंधरापुर पर लिखित तहरीर दी कि प्रतिवादी 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा छुट्टा गोवंशीय पशुओ को बेचने के उद्देश्य से काटना एंव मांस को एक बोरी मे भरकर मो0सा0 से ले जा रहे थे कि ग्राम गौरी नरायनपुर के ग्रामवासियो द्वारा दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया किन्तु दो अभियुक्त वसीम व नियाज के मो0सा0 से असलहा लहराते हुए भाग गए एंव अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील के पकड़े जाना तथा अन्धेरे का लाभ लेकर मौके से भाग जाना तथा बोरी मे भरा मांस जो मौके पर पड़ा होने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 268/2024 धारा 3/5/8 गो-वध निवारण अधिनियम बनाम 1.मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील 2.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन 3.नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासीगण ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ के विरूद्ध दिनांक 21.09.2024 को पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील निवासी खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ को आजमपुर पुलिया के पास से समय करीब 13.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

फरार अभियुक्त-

1.वसीम पुत्र सहाबुद्दीन निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

2. नियाज उर्फ मोटू पुत्र इस्तेखार अहमद निवासी ग्राम खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त मो0 पुत्र अब्दुल

1. मु0अ0सं0. 96/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ
2. मु0अ0सं0 268/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधिनियम थाना कन्धरापुर

प्रेस नोट

विशेष किशोर पुलिस इकाई व थाना एएचटी (मानव तस्करी रोधी) आजमगढ़ की मासिक समीक्षा बैठक

आज दिनांक 21.09.2024 को समय 12.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में SJPU व थाना AHT की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु सादे वस्त्र में आने, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

उक्त बैठक में ए.पी.ओ. श्री संजय सिंह, ए.सी.एम.ओ. डॉ0 ए.के. चौधरी जिला चिकित्सालय आजमगढ़, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री रोहित प्रताप, सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव, जे.जे.बी. सदस्य श्री रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन के श्री संजय कुमार शाही, वन स्टॉप सेन्टर की ममता यादव, जन विकास संस्थान, रोजा संस्था, आली संस्था आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB, महिला प्रकोष्ट व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना AHT के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।